

संख्या—वे0आ०—2—180 / दस—59(एम) / 2008टी०सी०

प्रेषक,

वृन्दा सरलप,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2

लखनऊ: दिनांक 01 मई, 2012

विषय: पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में संशोधन।
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—वे0आ०—2—1318 / दस—59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर—8 में बिन्दु संख्या—(5) के रूप में निम्नवत व्यवस्था जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

जिन सरकारी सेवकों को अपुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि माह फरवरी 2006 से माह जून, 2006 तक देय थी, का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए, किया जाएगा तथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को देय होगी। ऐसे कर्मचारी जो उक्त से आच्छादित होंगे के वेतन का पुनर्निर्धारण तदनुसार किया जायेगा।

2— शासनादेश संख्या—वे0आ०—2—1318 / दस—59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीया,


(वृन्दा सरलप)
प्रमुख सचिव,

संख्या—वे0आ०—2—180 (1) / दस—59(एम) / 2008 टी०सी०, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—। एवं ॥ तथा आडिट—। एवं ॥, उ०प्र०, इलाहाबाद।
 - 2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

- 3— प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- 6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
- 7— समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8— उ०प्र० सचिवालय के समरत अनुभाग।
- 9— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10— गार्डबुक।

आज्ञा से,

mm, 27 —

(मनोज कुमार जोशी)
उप सचिव।